न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 209/2016

1 मृतक ओमप्रकाश पुत्र फता जाति मेघवाल निवासी भुड़नपुरा तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृतक
1/1 सिणगारी पुत्री स्व. ओमप्रकाश
1/2 रामकिशन पुत्र स्व. ओमप्रकाश
1/3 हरचन्द पुत्र स्व. ओमप्रकाश
1/4 कृष्ण पुत्र स्व. ओमप्रकाश
1/5 भतेरी पुत्री स्व. ओमप्रकाश
जाति समस्त मेघवाल निवासीगण भुड़नपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 शीशराम पुत्र नारायण सिंह जाति मेघवाल निवासी भुड़नपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 लीलाधर उर्फ लीलाधर पुत्र फता जाति मेघवाल निवासी भुड़नपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 होशियार सिंह पुत्र फता जाति मेघवाल निवासी भुड़नपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3 काशीश आयु 12 साल पुत्र राजकुमार जाति मेघवाल निवासी भुड़नपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 पतासी देवी स्त्री नारायण सिंह जाति मेघवाल निवासी भुड़नपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सूरजगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक।
6 उप पंजीयक सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7 तहसीलदार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार सूरजगढ़।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 20.06.2016 व डिक्री दिनांक 15.07.2016 बअदालत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ मुकदमा उनवानी लीलाधर बनाम होशियार सिंह मु.नं. 136/2016 दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री फूलचन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 5/9/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 136/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2016 व डिक्री दिनांक 15.07.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपील की धारा 2 व 3 में वर्णित जमीन के बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसमें प्रथम तारीख पेश दिनांक 26.05.2016 नियत थी। लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को राजस्व लोक अदालत कैम्प जाखोद के बाबत बिना कोई सूचना व नोटिस के पत्रावली को दिनांक 20.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जाखोद में रखकर दिनांक 20.06.2016 को निर्णय कर दिनांक 15.07.2016 को डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया जमीन हाल खसरा नम्बर 24 रकबा 0.89 है., खसरा नम्बर 165/38 रकबा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

0.68 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर सरहद रांजस्व ग्राम पन्नेसिंहपुरा पटवार हल्का जाखोद तहत तहसील सुरजगढ़ में स्थित है। जमीन हाल खसरा नम्बर 16 रकबा 4.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 1.74 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 5.74 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम भुडनपुरा पटवार हल्का जाखोद तहत तहसील सूरजगढ़ में स्थित है। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण की प्रथम तारीख पेशी सुनवाई हेतु दिनांक 26.05.2016 नियत थी। दिनांक 26.05.2016 की पत्रावली पर कोई आदेशिका नहीं है। दिनांक 20.06.2016 को राजस्व लोक अदालत में पत्रावली की सुनवाई बाबत अपीलान्टस को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी। दिनांक 20.06.2016 को पत्रावली कौनसी तारीख पेशी से तलब की गई इस बाबत स्पष्ट नहीं है। प्रथम नियत पेशी दिनांक 26.05.2016 व निर्णय दिनांक 20.06.2016 के बीच की कोई तारीख पेशी पत्रावली पर नोट नहीं है। दिनांक 20.06.2016 को अपीलान्टस की तामील जरिये डाक एक माह का समय मानकर लोक अदालत में एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश भी गलत है। कानून से लोक अदालत में किसी पक्षकार की एकपक्षीय कार्यवाही करना भी गलत है। निर्णय दिनांक 20.06.2016 में लिखा है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें पर्चा डिक्री अंतिम मुर्तिब हो। जबकि दिनांक 20.06.2016 को पत्रावली पर कोई विभाजन रिपोर्ट नही थी। विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.06.2016 के बाद एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव दिनांक 04.07.2016 को तैयार कर तहसीलदार ने दिनांक 15.07.2016 को विभाजन प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किये है तथा दिनांक 15.07.2016 को ही विचारण न्यायालय ने डिक्री पारित की है तथा पूर्ण निर्णय दिनांक 20.06.2016 में कांट छांट कर लिखा है कि विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा जबकि दिनांक 20.06.2016 के बाद पत्रावली पर कोई अंतिम निर्णय नहीं है। प्रारम्भिक निर्णय में विभाजन प्रस्ताव संलग्न नहीं किये जा सकते। उपरोक्त प्रकार से विचारण न्यायालय की पत्रावली पर आये तथ्यों के मुताबिक अपीलान्ट को बिना सुने दिनांक 20.06.2016 को निर्णय पारित किया है। निर्णय स्पष्ट नहीं है। कानून से निर्णय फर्द अहकाम पर पारित नहीं किया जा सकता। निर्णय दिनांक 20. 06.2016 रिलिफ से हटकर पारित किया है। दिनांक 20.06.2016 को

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पत्रावली पर विभाजन प्रस्ताव नहीं थे। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.07.2016 को न्यायालय में पेश हुये है। दिनांक 20.06.2016 से पूर्व विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के लिये कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। निर्णय प्रारम्भिक है या अंतिम स्पष्ट नहीं है। दिनांक 20.06.2016 के निर्णय में कांट–छांट कर बाद में प्रस्तुत हुये विभाजन प्रस्ताव को शामिल किया गया है व गलत रूप से अंतिम डिक्री पारित की गई है। विभजन प्रस्ताव अपीलान्ट की उपस्थिति में नहीं बनाये गये है। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय है व साजसी है। विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त के मुताबिक नहीं है एवं गलत है। पत्रावली में दिनांक 26.05.2016 के बाद में कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है। निर्णय दिनांक 20.06.2016 के बाद में विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये है जबकि दिनांक 20.06.2016 के फैसले में बिना विभाजन प्रस्ताव के लिखा है कि विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस पारित करने में विधिक प्रकिया नहीं अपनाई तथा निगम कायदों को ताक पर रखकर पक्षकारों को बिना सुने एकपक्षीय रूप से गलत फैसला पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2016 व डिक्री दिनांकित 15.07.2016 खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपील की धारा 2 व 3 में वर्णित जमीन के बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसमें प्रथम तारीख पेश दिनांक 26.05.2016 नियत थी। लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस को राजस्व लोक अदालत कैम्प जाखोद के बाबत बिना कोई सूचना व नोटिस के पत्रावली को दिनांक 20.06.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जाखोद में रखकर दिनांक 20.06.2016 को निर्णय कर दिनांक 15.07.2016 को डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 20.06.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय के एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त करवाने के लिए अपीलान्ट द्वारा आदेश 09 नियम 13 के तहत विचारण न्यायालय में कोई चाराजोही नहीं की गई है। प्रस्तुत अपील प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विधि अनुसार संयुक्त अपील पोषणीय नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 20.06.2016 एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 04.08.2016 को प्रस्तुत की गई है। विधि में प्रथम अपील के लिए 60 दिवस की मियाद निर्धारित है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है। मियाद के संदर्भ में रेस्पोडेन्ट की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय दिनांक 20.06.2016 एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलान्ट ने इसी निर्णय व डिक्री को चुनौती दी है। अपीलान्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध संयुक्त अपील करने एवं विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने की आपत्ति भी स्वीकार योग्य नहीं है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की आदेशिका के अनुसार दिनांक 25.04.2016 को वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तामील जारी कर पत्रावली दिनांक 26.05.2016 को तलबी हेतु नियत की गई है। इसके उपरांत विचारण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 20.06.2016 की आदेशिका में प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश है। दिनांक 29.06.2016 को पत्रावली इंतजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.08.2016 को नियत की गई है। विचारण न्यायालय ने नियत तिथि दिनांक 17.08.2016 से पूर्व बिना किसी विधिक प्रकिया के पत्रावली दिनांक 15.07.2016 को लोक अदालत कैम्प में रखकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित की गई है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया को ताक में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर, आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण कर, बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार ॥)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर